रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 1987/वैशाख 11, 1909
No. 91] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 1987/VAISAKHA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 174-आईटीसी (पी एन)/85—88

नई दिल्ली, 1 मई, 1987

विषय :—अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति

फाइल सं. 1/2/आर ई पी/85-ईपीसी (खंड).—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1-आई टी सी (पी एन)/85-88, दिनांक 12 अप्रैल

1985 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति-1985-88 (खंड-I) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
(1)	221	परिशिष्ट-13	वर्तमान पैरे-3 के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा :— "3क इस नीति के पैरे 190(ख) से 190 (ञ) तक में सम्मिलित "सम्भावित निर्यातों" के लिए भी पंजीकृत निर्यातकों को अग्रदाय लाइसेंस जारी किए जाएंगे। लेकिन, यह सुविधा उन निर्यातकों को उपलब्ध नहीं होगी जिन्होंने उसी संविदा/परियोजना के लिए जहां कहीं लागू हो, विशेष अग्रदाय लाइसेंस जारी करने के लिए विकल्प दिया है।

3. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किया गया है।

ह./-

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक
आयात-निर्यात

मंजुला सुब्रह्मणियम, संयुक्त मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 174-ITC(PN)/85—88

New Delhi, the 1st May, 1987

Subject : Import & Export Policy for April 1985—March 1988.

File No. 1/2/REP/85-EPC(Pt.).—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/85-88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendments shall be made in the policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy 1985-88 (Vol. I)	Reference	Amendments
1	2	3	4
(1)	221	Appendix-13	After the existing para 3 the following new para shall be added :— "3A. Imprest Licences may also be issued to registered exporters for the 'deemed exports' covered by para 190(b) to 190(j) of this policy. This facility will, however, not be available

1	2	3	4
			to those exporters who have opted for issue of Special Imprest Licences for the same contract/ project, wherever applicable".

3. The above amendment has been made in public interest.

Sd/-

R.L. MISRA;

Chief Controller of Imports & Exports

MANJULA SUBRAMANIAM, Jt. Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987